संख्या- 134/2019/ 1888/चार-2019

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019**

विषय:- दिनांक 26 से 29 अगस्त, 2019 की अवधि में 19वें बाल उत्सव के आयोजन हेतु रू0 30,000 /- की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1387/ सं0नि0-15(2)/2019-20-7, दिनांक 21 अगस्त, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26 से 29 अगस्त, 2019 की अवधि में 19वें बाल उत्सव के आयोजन में प्रेक्षागृह एवं कलाकारों के मानदेय मद में रू0 30,000 /-(तीस हजार रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति सर्च फाउण्डेशन, लखनऊ को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 30,000 /-(तीस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट शासन को अवलोकित कराने के उपरान्त ही, भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 30,000 /-(तीस हजार रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एंव प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या- 134/2019/ 1888 (1)/चार-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।